संख्या–946/12–3–2010–100(41)2008

प्रेषक,

पी. एन. सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
मत्स्य विभाग,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

कृषि अनुभाग–3

लखनऊः दिनांकः 30 जून, 2010

विषय– राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत मत्स्य विभाग की परियोजनाओं की वित्तीय स्वीकृति विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक–भू.सं./21/रा.कृ.वि.यो./8, दिनांक19.4.2010 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष–2010–11 के आय–व्ययक में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत मत्स्य विभाग की परियोजनाओं हेतु निम्न तालिका में अंकित मानक मदों के अनुसार कुल रू0–28083 हजार (रू0 दो करोड़ अस्सी लाख तिरासी हजार मात्र) की धनराशि व्यय हेतु आपके निस्तारण पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

(धनराशि हजार रू0 में)

क. सं.	मानक मद अनुदान संख्या–11 के लेखाशीर्षक–2401–फसल कृषि कर्म–आयोजनागत–00–800–अन्य व्यय–03– राष्ट्रीय कृषि विकास योजना–10–मत्स्य पालन की योजनायें	प्राविधान 2010–11	वर्ष 2009–10 में स्वीकृत कार्यक्रम जिसके लिए प्रस्ताव किया जा रहा है।			कुल प्रस्तावित वित्तीय स्वीकृति
			Devolopment/ Establishment of mondern fish markest.	Fish seed production at govt. fish farms.	Establishment of training and awareness centre at badalpur (G.B Nagar)	
1	42–अन्य व्यय	77500	18700	5250	4133	28083
	योग	77500	18700	5250	4133	28083

(रू0 दो करोड़ अस्सी लाख तिरासी हजार मात्र)

2– उक्त धनराशि का उपयोग योजना की अनुमोदित कार्ययोजना के अनुरूप भारत सरकार के दिशा निर्देशों/गाइड लाइन्स एवं संगत नियमों के अनुसार सुनिश्चित किया जायेगा तथा धनराशि का व्यय केवल उन्ही मदों पर किया जायेगा जिस मद के लिए धनराशि स्वीकृत की गयी है तथा आय–व्ययक में प्राविधानित है।किसी अन्य भिन्न मद में न ही इसका व्यय किया जायेगा और न ही एक मद से दूसरे मद में इसका डायवर्जन किया जायेगा। यदि किसी मद में व्यय करने की अनुमति भारत सरकार द्वारा कार्य योजना में प्राप्त न हो तो उसकी सूचना शासन में उपलब्ध करायी जाय।

3– योजनान्तर्गत व्यय की जाने वाली उक्त धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप पर राज्य नोडल अधिकारी को उपलब्ध कराया जायेगा। विभिन्न घटकों के अन्तर्गत कराये गये कार्यो की मासिक आधार पर भौतिक/वित्तीय प्रगति रिपोर्ट राज्य नोडल अधिकारी को उपलब्ध करायी जायेगी। कृषि निदेशक/निदेशक मत्स्य द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि उक्त कार्य की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं में पुनरावृत्ति/द्विरावृत्ति न हो।

4– उक्त व्यय वित्तीय वर्ष 2010–11 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या–11 के लेखाशीर्षक–2401–फसल कृषि कर्म आयोजनागत–00–800–अन्य व्यय–03 राष्ट्रीय कृषि विकास योजना–10–मत्स्य पालन की योजनायें के अन्तर्गत उपरोक्त तालिका में अंकित सुसंगत मानक मदों के नामें डाला जायेगा।

5— यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या—ई—1—404/दस—2010, दिनांक 30 जून, 2010 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किया जा रहा है।

भवदीय,

(पी. एन. सिंह)
संयुक्त सचिव।

सं0—946 (1)/12—3—2010—तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1— महालेखाकार,(लेखा व हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद ।
2— महालेखाकार,(लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
3— सचिव, भारत सरकार कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली।
4— संयुक्त सचिव (आर.के.वी.वाई.) भारत सरकार कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली।
5— अवर सचिव (आर.के.वी.वाई.) भारत सरकार कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली।
6— निदेशक, आर.के.वी.वाई., भारत कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली।
7— प्रमुख सचिव, कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
8— प्रमुख सचिव, मत्स्य विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
9— कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
10— वित्त नियंत्रक, मत्स्य निदेशालय, लखनऊ।
11— निदेशक, कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश/नोडल अधिकारी, आर.के.वी.वाई., कृषि भवन, लखनऊ।
12— वित्त (व्यय नियंत्रण), अनुभाग—1/कृषि अनुभाग—5/नियोजन अनुभाग—3
13— गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(पी. एन. सिंह)
संयुक्त सचिव।